भारत सरकार
वस्त्र आयुक्त के कार्यालय
48, विट्ठलदास ठाकरसी मार्ग,
निष्ठा भवन, मुंबई -400020.
टेल: (022) 22014446, फैक्स: (022) 22004693
www.txcindia.gov.in; www.texmin.nic.in

सं.3/87/2013/Cotton/37 दिनांक 13 जून 2013

परिपत्र

सेवा में,
सभी स्वतंत्र जिनिंग फैक्ट्रियाँ,
सभी स्वतंत्र प्रेसिंग फैक्ट्रियाँ,
सभी जिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्ट्रियाँ,
सभी कपास व्यापारियों,
सभी सर्जिकल कपास अथवा कपास वाडिंग विनिर्माण इकाईयों,
वस्त्र आयुक्त कार्यालय के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों,

विषय: 27 फ़रवरी, 2013 की अधिसूचना सं.का.आ.786 (अ) की अपेक्षानुसार स्वतंत्र जिनिंग फैक्ट्रियों, स्वतंत्र प्रेसिंग फैक्ट्रियों, जिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्ट्रियों, कपास व्यापारियों, सर्जिकल कपास अथवा कपास वाडिंग विनिर्माण इकाईयों के वस्त्र आयुक्त के कार्यालय में पंजीकरण - के बारे में।

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2011 के नियम 5 और 7 के साथ पठित सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 की धारा 3 तथा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अधिसूचना सं. का.आ.786 (अ) दिनांक 27 फ़रवरी, 2013 (जो वस्त्र आयुक्त कार्यालय की

वेबसाईट अर्थात www.txcindia.gov.in पर सांख्यिकी संग्रहण की अधिसूचना शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध है), के द्वारा वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले भौगोलिक क्षेत्रों की स्वतंत्र कपास जिनिंग फैक्ट्रियों, स्वतंत्र कपास प्रेसिंग फैक्ट्रियों, कपास जिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्ट्रियों, व्यापारियों(ट्रेडर्स), सर्जिकल कपास अथवा कपास वाडिंग विनिर्माण इकाईयों और कपास वस्त्र मिलों से कपास संबंधी सांख्यिकी संग्रह के लिए वस्त्र आयुक्त और उनके प्रतिनिधियों को सांख्यिकी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

तदनुसार, सभी स्वतंत्र जिनिंग फैक्ट्रियों, स्वतंत्र प्रेसिंग फैक्ट्रियों, जिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्ट्रियों, व्यापारियों(ट्रेडर्स), सर्जिकल कपास अथवा कपास वाडिंग विनिर्माण इकाईयों को वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से वस्त्र आयुक्त को मासिक विवरणी (रिटर्न) जमा करना है।

इस संबंध में उपरोक्त अधिसूचना के परिशिष्ट- I पैरा 4 में किए गए उपबंध की अपेक्षा के अनुसार संबंधित इकाइयों को वस्त्र आयुक्त के कार्यालय में पंजीकृत करना आवश्यक है। पंजीकरण का प्रपत्र इसके साथ सलंग्न है और यह प्रपत्र (फार्म) वस्त्र आयुक्त कार्यालय की वेबसाईट अर्थात www.txcindia.gov.in पर सांख्यिकी संग्रहण संबंधी अधिसूचना शीर्षक के अंतर्गत भी उपलब्ध है। सभी स्वतंत्र जिनिंग फैक्ट्रियों, स्वतंत्र प्रेसिंग फैक्ट्रियों, कपास जिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्ट्रियों, व्यापारियों(ट्रेडर्स), सर्जिकल कपास या कपास वाडिंग विनिर्माण इकाईयों से अनुरोधं है कि, वे संबंधित वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालयों में विधिवत भरा हुआ फार्म पंजीकरण हेतु जमा करें।

अधिक जानकारी के लिए, इकाइयाँ / व्यापारी वस्त्र आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।

(अनिल बी. जोशी)
वस्त्र आयुक्त